इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

### विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 31490-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 29 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

**अवधेश प्रताप सिंह**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २९ सन् २०१६

# मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, २०१६

**मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम.** १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

**अनुसूची का संशोधन.** २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक २३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

| अनु-क्रमांक (१) | निजी विश्वविद्यालय का नाम (२) | प्रायोजी निकाय का नाम (३) | प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४) | मुख्य परिसर (५) | अधिकारिता (६) |
|---|---|---|---|---|---|
| "२४. | अवंतिका विश्वविद्यालय, उज्जैन. | महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, १२४, एक्स सर्विसमेन कॉलोनी, पाउड रोड, कोथरूड, पुणे. | बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५० (बाम्बे अधिनियम, क्रमांक २९ सन् १९५०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक ट्रस्ट. | अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, ग्राम लेकोडा, तहसील एवं जिला उज्जैन. | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश". |

## उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय, अर्थात् अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, ग्राम लेकोडा, तहसील एवं जिला उज्जैन स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में, उक्त विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण से संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ दिसम्बर, २०१६

**जयभान सिंह पवैया**
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.